



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रधिकृत से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2012/ज्यैष्ठ 3, 1934

No. 231]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2012/JYAISTHA 3, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2012

सा.सां.वि. 382(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

- (1) यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि (सूचीय संशोधन) योजना, 2012 कहली जाएगी।
(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैरा (B3) में, अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के संबंध में विशेष उपबंध, "(श)"अपवर्जित कर्मचारी" शब्दों और शब्दों से प्रारम्भ होने वाले तथा "ऐसे किसी करार" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

(श) "अपवर्जित कर्मचारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार जो अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत में परस्परव्यवस्था के आधार पर कोई सामाजिक सुरक्षा करार किया है, नागरिक या निवासी के रूप में योगदान दे रहा है और ऐसी अवधि और निबंधनों के लिए, जो ऐसे किसी करार में विनिर्दिष्ट किए गए हों, विद्यमान कर्मकार की प्रस्थिति का उपयोग कर रहा है; अथवा

1866 01/2012

(1)

(ii) कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार जो अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत ने 1 अक्टूबर, 2008 से पूर्व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित संधि के अंतर्गत संबंधी कोई द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक करार किया है, नागरिक या निवासी के रूप में अभ्यस्तन दे रहा है, जो मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा निधि में अंशदान देने के लिए देश के प्राकृतिक व्यक्तियों को छूट प्रदान करता है।

[फा. सं. एस-35025/09/2011/एस एस-11]

रवि माथुर, अपर सचिव

पाद टिप्पण : कर्मचारी शिष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं.का. 1509 दिनांक 2 सितम्बर, 1952 के तहत प्रकाशित की गयी थी और पिछली बार इसे सा.का.नि. 336(अ.), दिनांक 4 मई, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2012

G.S.R. 382(E)— In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely: -

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 83, relating to special provisions in respect of International Workers, for the portion beginning with the brackets, letter and words "(f) "excluded employee" and ending with the words "such an agreement", the following brackets, letter and words shall be substituted, namely: -

"(f) "excluded employee" means,-

(i) an International Worker, who is contributing to a social security programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered into a social security agreement on reciprocity basis and enjoying the status of detached worker for the period and terms, as specified in such an agreement; or

(ii) an International Worker, who is contributing to a social security programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered into a bilateral comprehensive economic agreement containing a clause on social security prior to 1st October, 2008, which specifically exempts natural persons of either country to contribute to the social security fund of the host country;".

[F. No. S-35025/09/2011/SS-II]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

Foot Note : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.R.O. 1509 dated the 2nd September, 1952 and lastly amended vide number G.S.R.336(E), dated the 4th May, 2012.